न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

अपील डिक्री/टीए/4455/2006/उदयपुर

1– श्री वेला पिता श्री हिरका वडेरा जाति भील आयु वयस्क निवासी तलाई तहसील झाड़ोल (फ0) जिला उदयपुर (राज0)
2– श्री परथा पिता श्री वेला वडेरा जाति भील आयु वयस्क निवासी तलाई तहसील झाड़ोल (फ0) जिला उदयपुर (राज0)
3– श्री विरमा पिता श्री वेला वडेरा जाति भील आयु वयस्क निवासी तलाई तहसील झाड़ोल (फ0) जिला उदयपुर (राज0)
4– श्री नक्का पिता श्री वेला वडेरा जाति भील आयु वयस्क निवासी तलाई तहसील झाड़ोल (फ0) जिला उदयपुर (राज0)
5– श्री भवरिया पिता श्री वेला वडेरा जाति भील आयु वयस्क निवासी तलाई तहसील झाड़ोल (फ0) जिला उदयपुर (राज0)
6– श्री लक्ष्मण पिता श्री परथा वडेरा जाति भील आयु वयस्क निवासी तलाई तहसील झाड़ोल (फ0) जिला उदयपुर (राज0)
7– श्री प्रकाश पिता श्री परथा वडेरा जाति भील आयु वयस्क निवासी तलाई तहसील झाड़ोल (फ0) जिला उदयपुर (राज0)
8– श्री केसा पिता श्री विरमा वडेरा जाति भील आयु वयस्क निवासी तलाई तहसील झाड़ोल (फ0) जिला उदयपुर (राज0)
9– श्री देवला पिता श्री विरमा वडेरा जाति भील आयु वयस्क निवासी तलाई तहसील झाड़ोल (फ0) जिला उदयपुर (राज0)

------ अपीलांट्स

बनाम

1– सवला पिता श्री हिरका वडेरा जाति भील आयु वयस्क निवासी तलाई तहसील झाड़ोल (फ0) जिला उदयपुर (राज0)

------- रेस्पोडेन्ट

खण्ड पीठ
श्री आर0डी0मीणा, सदस्य
श्री सुरेन्द्र माहेश्वरी, सदस्य

उपस्थित
(1) श्री मुकेश जैन व श्री सी0पी0 पाराशर, अभिभाषक अपीलांट्स।
(2) रेस्पो0 सूचना बावजूद उपस्थित नहीं।

अपील डिक्री/टीए/4455/2006/उदयपुर
वेला बनाम सवला

<u>निर्णय</u> **दिनांक :– 06.05.2024**

यह अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 224, के अन्तर्गत विद्वान भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, उदयपुर की अपील संख्या 161/2005 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 24–04–2006 बउनवान वेला बनाम सवला के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2– प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादीगण/रेस्पो0 ने विद्वान परीक्षण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, झाडोल जिला उदयपुर के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 5/44, 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वादग्रस्त आराजी का प्रस्तुत कर अनुतोष चाहा कि वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमायी जावें। वादपत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तलब किया। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दावे एवं जवाब दावे के आधार पर प्रकरण में आवश्यक तनकियात कायम कर उनका विस्तृत विवेचन करते हुए उन्होंने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 29–10–2005 से प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रतिदावा सिद्ध नहीं करा पाने से वाद वादी स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रतिदावा खारिज किया गया जिस निर्णय व डिक्री से क्षुब्ध होकर अपीलांट ने विद्वान अपीलीय न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, उदयपुर के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की जिसमें विद्वान अपीलीय न्यायालय ने उपस्थित अधिवक्तागण की बहस सुनकर अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 24–04–2006 से अपील अपीलांट खारिज कर दी जिस निर्णय व डिक्री दिनांक 24–04–2006 से व्यथित होकर अपीलांट की ओर से यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3– अपील पर विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स की बहस सुनी गई।

4– अपीलांट के विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कथन किया कि विद्वान अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय विरूद्ध न्याय, नियम व रिकॉर्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने न तो वाद पद के अनुसार पत्रावली का अवलोकन किया, न वाद पद के अनुसार ही निर्णय पारित

किया गया जबकि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय का दायित्व था कि वाद पदों के अनुसार तथा अपीलांट द्वारा प्रस्तुत की गई साक्ष्य का अवलोकन फरमाया जाता एवं निर्णय प्रदान किया जाता तो इस प्रकार का निर्णय कदापि पारित नहीं किया जाता। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने वादपद 1 में अंकित किया है कि आया मुतदाविया मौजा तलाई तहसील झाड़ोल में वाद पत्र के कॉलम सं0 1 में अंकित भूमि आराजी किता 9 रकबा 1.40 है0 भूमि वादी को आवंटित हुई। उक्त वादपत्र घोषित करने का भार वादी पर था किन्तु वादी/रेस्पो0 द्वारा केवल आवंटन के कागजात पेश किये है किन्तु उक्त भूमि रेस्पो0 को आवंटित कर आधिपत्य प्रदान किया है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादपदों का विनिश्चय विधिवत् नहीं फरमाया गया। उक्त वादपदों का विनिश्चय फरमाये जाते समय अपीलांट द्वारा प्रस्तुत किये गये गवाहान के बयाना को नहीं पढ़ा गया जो कि अपीलांट के पक्ष में बायान दिये गये थे तथा बयानों में अपीलांट्स की ओर से स्पष्ट विवेचन किया गया था कि उक्त भूमि का अपीलांट प्रतिकूल आधिपत्यधारी है। अधीनस्थ न्यायालय में दावा वादी का कब्जा ही नहीं था तो खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किए जा सकते। अतः अपील अपीलांट्स स्वीकार फरमायी जाकर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त फरमाये जाने का अनुरोध किया।

5– हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक अपीलांट की एकपक्षीय बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन एवं अवलोकन किया।

6– विद्वान उपखण्ड अधिकारी, झाड़ोल जिला उदयपुर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 29–10–2005 में अंकित किया है कि वाद वादी स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रतिदावा खारिज किया जाता है।

7– विद्वान भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, उदयपुर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 24–04–2006 में अंकित किया कि अपील अपीलांट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 29–10–2005 यथावत् रखी जाती है।

अपील डिक्री/टीए/4455/2006/उदयपुर
वेला बनाम सवला

8– पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि पत्रावली में उपलब्ध सभी दस्तावेजों में विवादित भूमि की खातेदारी रेस्पोडेन्ट/वादी के नाम खातेदारी हक से दर्ज है। इसके विपरीत प्रतिवादीगण/अपीलांट्स ने ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की जिससे विवादित भूमि की खातेदारी अपीलांट की साबित होती हो। अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय में अपने जवाबदावे व प्रतिदावे के समर्थन में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये हैं। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय ने उपरोक्त कायम की गई तनकियात का विवेचन करते हुए वादी का वाद साबित माना है जो बिल्कुल सही है।

इसके विपरीत जो तनकी प्रतिवादी को साबित करानी थी, उन तनकियों को प्रतिवादीगण(अपीलांट) साबित नहीं करा सका है। केवल मौखिक साक्ष्यों के आधार पर प्रतिवादीगण/अपीलांट्स का 40 वर्षो का कब्जा साबित नहीं माना जा सकता है। वह भी उस स्थिति में जब विवादित भूमि की खातेदारी भी प्रतिवादीगण/अपीलांट के नाम दर्ज न होकर वादी/रेस्पोडेन्ट के नाम दर्ज हो। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादी का वाद स्वीकार किया है एवं प्रतिवादी का प्रतिदावा खारिज किया है, जो विधिसम्मत है और उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं समझते हैं।

9– विद्धान अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, उदयपुर द्वारा विस्तृत विवेचन करते हुए अपील खारिज की गई है जो पूर्णतया उचित है।

10– अतः उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

11– पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेन्द्र माहेश्वरी) **(आर0डी0मीणा)**

सदस्य **सदस्य**